

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2013—श्रावण 10, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. एफ-46-3-2013-बीस-3.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कक्षा 3 से 8 तक प्रत्येक के लिए विहित, सामान्य हिन्दी की तथा कक्षा 1 व 2 के लिए विहित विशिष्ट अंग्रेजी एवं विशिष्ट उर्दू की पाठ्यपुस्तकों में शिक्षण सत्र 2013-14 में भगवद् गीता में बताए गए प्रसंगों पर आधारित एक-एक अध्याय जोड़ने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

यह आदेश इस विषय पर आगामी आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

Bhopal, the 1st August 2013

No. F-46-3-2013-XX-3.—State Government, hereby in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathmik, Middle School Tatha Madhyamik Shiksha (Pathya Pustakon Sambandhi Vyavastha) Adhiniyam, 1973 (No. 13 of 1973), permits to add one chapter each based on incidents enumerated in Bhagwat Gita in the Textbooks of General Hindi prescribed to Class III to VIII, Special English and Special Urdu in Class I & II for the academic session 2013-14.

This Order shall be effective till the further orders in this regards.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. द्विवेदी, उपसचिव।